रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220146
CG-DL-E-24062020-220146

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942
No. 311] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं. 49/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 402(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून , 2020 को उस तारीख के रुप में, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 118, 125, 129 और 130 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है ।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/06/09/2019- जीएसटी]

प्रमोद कुमार,निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 49/2020 –Central Tax

G.S.R. 402(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2020 (12 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the 30th day of June, 2020, as the date on which the provisions of sections 118, 125, 129 and 130 of the said Act, shall come into force.

[F. No. CBEC- 20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं.-50/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 403(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 01 अप्रैल 2020 से प्रवत्तृ होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 7 में, तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"तालिका

क्रम संख्या	धारा जिसके तहत संयुक्त उधग्रहण का विकल्प चुना गया है	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(1 क)	(2)	(3)
1.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	ऐसे विनिर्माताओ से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, भिन्न विनिर्माता	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का आधा फीसदी
2.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) मे निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का ढाई फीसदी
3.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधो के अधीन संयुक्त उधग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी